

संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

भोपाल मध्यप्रदेश

क्र/शिका/सेन-3/जबलपुर/2026/613

भोपाल, दिनांक 03/04/2026

//आदेश//

यह कि कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/कले.निज सहा./398/2026 जबलपुर, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 अंतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने की शिकायत के संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:

1/- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जबलपुर में फर्जी देयक लगाकर भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच किये जाने हेतु इस कार्यालय का कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले. स्टेनो/393/2026 जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2026 द्वारा जांच दल गठित किया गया।

2/- उपरोक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में गठित टीम द्वारा दिनांक 31/3/2026 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है।

- कार्यालय में स्थित स्टोर शाखा में संधारित स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 17/3/2026 को 6 देयकों की प्रविष्टि पाई गई उक्त देयकों की सामग्री का क्रय सिंह इन्टरप्राइजेस भोपाल से किया गया है। 6 देयकों की कुल राशि 42,99,998/- है। उसी क्रम में दिनांक 24/03/2026 को कुल 7 देयकों की प्रविष्टि है, जिनकी कुल राशि 57,75,000/- है। इस प्रकार 6+7=13 देयकों की कुल राशि 1,00,74,998/- (एक करोड़ चौहत्तर लाख नौ सौ अठ्ठानब्बे) के देयक हैं।
- मौके पर जवाहर लोधी फार्मासिस्ट (एन एच एम) जिसके द्वारा कार्यालय स्टोर शाखा में सामग्री प्राप्त होने पर स्टॉक पंजी में प्रविष्टि की जाती है, के द्वारा कथन में बताया गया कि उक्त देयकों की एंट्री स्टॉक रजिस्टर में श्री आदित्य तिवारी डी.पी.एम. के कहने पर मेरे द्वारा की गई है, जबकि सामग्री भौतिक रूप से भण्डार गृह में उपलब्ध नहीं करायी गई। अतः कथन से स्पष्ट है कि बिना सामग्री प्राप्त किये ही स्टॉक पंजी में उक्त देयकों की प्रविष्टि की गई है।
- श्री नीरज कौरव स्टोर कीपर, (नियमित) द्वारा बताया गया कि कय की गई सामग्री आंशिक रूप से भंडार गृह में उपलब्ध है परंतु निरीक्षण पर पाया गया कि सामग्री उपलब्ध नहीं है नीरज कौरव द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई।
- श्री आदित्य तिवारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा अपने कथन में बताया है कि शिकायत में उल्लेखित देयक में दर्शाई गयी सामग्री आंशिक रूप से प्राप्त की गई एवं कुछ सामग्री प्राप्त किया जाना शेष है। जबकि जांचदल द्वारा पाया गया कि, 13 देयकों में से कोई भी सामग्री स्टोर शाखा (कार्यालय) में भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है एवं साथ ही इनके द्वारा क्रय की गई सामग्री का भुगतान सामग्री प्राप्त करने की प्रत्याशा में किया गया जो कि, भण्डार क्रय नियमों के विपरीत है।
- शिकायत में उल्लेखित कुछ मरम्मत (रंगाई, पुताई) एवं कम्प्यूटर सुधार के देयकों का परीक्षण किया गया, विवरण भौतिक रूप भवन मरम्मत का कार्य जिले की विभिन्न संजीवनी केन्द्रों में कराया जाना बताया गया है एवं कम्प्यूटर रिपेयरिंग कार्य होने के कारण भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया एवं अलमारी खरीदी का संधारण कुल अलमारी देयकों में वर्णित अनुसार संख्या 40 हैं, जिसमें से विवरण पंजी के अनुसार कुल 21 अलमारी का वितरण विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में किया गया एवं शेष का भण्डारण संजीवनी क्लीनिक कस्तुरबा गांधी वार्ड चंचला बाई कालेज के बाजू में किया गया है।

- तत्पश्चात् लेखा शाखा का निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार IEC/signage/register एवं Travarsing gap के कुल 13 देयकों में से दिनांक 23/3/2026 का देयक क्रमांक 58/23-3-2026 राशि 7,70,000/- का भुगतान नहीं होना पाया गया शेष सभी 12 देयकों की राशि 93,04,998/- का भुगतान किया जा चुका है। लेखा शाखा द्वारा केशबुक का संधारण माह सितम्बर 2025 तक ही किया गया है जिस कारण उपरोक्त देयकों की प्रविष्टि केशबुक में नहीं है। मौका जांच उपरान्त देयकों की सत्यापित प्रतिलिपि, स्टॉक पंजी की सत्यापित प्रतिलिपि माह मार्च 2026 की ट्रेकिंग रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि श्री आदित्य तिवारी डी.पी.एम. से प्राप्त किया गया।
- मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित 2022) के बिन्दु क्रमांक 17.3 के अनुसार भुगतान के पूर्व यह अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा कि, सामग्री का निरीक्षण हुआ है एवं वह सामग्री विनिर्देशनों के अनुरूप है। परन्तु कार्यालय द्वारा क्रय की गई सामग्री की प्राप्त ना होने पर भी राशि 93,04,998/- (अंकन तिरान्नबे लाख चार हजार नौ सौ अन्ठान्नबे रुपये) का भुगतान किया जा चुका है जो नियमानुसार नहीं है एवं वित्तीय अनियमितताओं को दर्शाता है।
- उपरोक्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि, डॉ. संजय मिश्रा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर व श्री आदित्य तिवारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक जवाहर लोधी फार्मासिस्ट (संविदा) तथा नीरज कौरव (फार्मासिस्ट) द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितता कारित कर बगैर सामग्री प्राप्त किए भुगतान किया जाना पाया गया है।

3/- यह कि उपरोक्त कृत्य से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आप डॉ. संजय मिश्रा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह प्रभारी क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पर्यवेक्षीय पद धारण करने के उपरान्त भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती जाकर, वित्तीय अनियमितता की गई है, जिससे शासन की छवि भी धूमिल हुई है। जो न सिर्फ आपके उदासीन रवैये को उजागर करता है अपितु आपकी संदिग्ध निष्ठा एवं असफल प्रशासकीय नियंत्रण को परिलक्षित करता है।

4/- मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ज्ञाप क्रमांक 13-31/2004/17/ मेडि-1/दिनांक 22.04.2006 द्वारा आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश को उनके नियंत्रणाधीन पदस्थ प्रथम श्रेणी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

5/- इस प्रकार आपके द्वारा वित्तीय संव्यवहार में शासन/विभागीय नीति एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वित्तीय अनियमितता किए जाने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के उपनियम एक के खण्ड एक दो तीन के विपरीत आचरण किया गया है, जो गंभीर कदाचरण होने से आप डॉ. संजय मिश्रा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जबलपुर सह क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गिकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ. संजय मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल नियत किया जाता है। डॉ. संजय मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Digitally signed by

DHANARAJU SANJEEVARAYAPPA आयुक्त

Date: 03-04-2026 17:37:04

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश

क्र/शिका/सेन-3/जबनपुर/2026/614

भोपाल, दिनांक 03/04/2026

प्रतिनिधि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
2. संभागीय आयुक्त, जबनपुर संभाग, जबनपुर मध्यप्रदेश।
3. कनेक्टर, जिना जबनपुर, मध्यप्रदेश की ओर उनके द्वारा प्रेषित ज्ञाप क्रमांक/कने.निज सहा./398/2026 जबनपुर, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में प्रेषित।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबनपुर संभाग, जबनपुर म.प्र. की ओर जारी आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेश डॉ संजय मिश्रा को तामिन कराएं तथा इनके विरुद्ध जारी होने वाले आरोप पत्र का प्रारूप तीन दिवस की समयावधि में संचालनानय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिना जबनपुर मध्यप्रदेश।
8. कार्यालय, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिना जबनपुर म.प्र।
9. संभागीय कोषालय अधिकारी, जबनपुर/ भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
10. जिना कोषालय अधिकारी, जिना जबनपुर/ भोपाल मध्यप्रदेश।
11. डॉ संजय मिश्रा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिना जबनपुर क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबनपुर संभाग, जबनपुर मध्यप्रदेश-द्वारा क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबनपुर संभाग, जबनपुर, म.प्र.।
12. प्रभारी एन.आई.एस. सेन की ओर जारी आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश